23.05.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार कर मूल नोट पेस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.05.25

(किरण पाल)
RAS.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना